



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1076
प्रति,

/भू.अ.लि./ 2016

रायगढ़ दिनांक 12/08/2016 संशोधित

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के लिए वन अधिकार मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श 'स' प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :-

1. कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर का पृ.पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-135/162/रायपुर दिनांक 02.07.2016
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1107/रा.नि.का./2015 रायगढ़ दिनांक 25.08.2015
3. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रायगढ़ के पत्र क्र. प.क्षे.सं. प्र-1/ विद्युत/वन/F-26/3585 दिनांक 08.06.2015 एवं पत्र क्रमांक प.क्षे.सं.प्र.1/विद्युत/वन/F-28/198 दिनांक 12.07.2016

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1107/रा.नि.का./2015 रायगढ़ दिनांक 25.08.2015 द्वारा पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार की उपक्रम) के 765 के. व्ही. D/C झारसुगुडा से धरमजयगढ़ (कोरबा) तक, संचरण पथ-11 के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदर्श 'स' में जानकारी भेजी गई है। जिसमें आपके कार्यालय के पृ.पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/162/रायपुर दिनांक 02.07.2016 द्वारा आबंटित क्षेत्र अनुसार वन अधिकार प्रमाण-पत्र प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आवेदक संस्था द्वारा अंतिम सर्वेक्षण के दौरान संचरण पथ में आंशिक परिवर्तन से जो वन खण्ड प्रभावित नहीं हो रहे हैं उनको विलोपित कर संशोधित क्षेत्रफल का वन अधिकार प्रमाण-पत्र प्रदर्श 'स' चाही गई है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र में आंशिक संशोधन कर संशोधित प्रमाण-पत्र प्रदर्श 'स' प्रारूप तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 10764
प्रतिलिपि:-

/भू.अ.लि./ 2016

रायगढ़ दिनांक 12/08/2016

1. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़/धरमजयगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया/धरमजयगढ़ को सूचनार्थ।
3. मुख्य प्रबंधक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित
प्रदर्श "स"

प्रमाण पत्र

रायगढ़ जिले के अंतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के 765 के. व्ही. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक, संचरण पथ -- II के निर्माण हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत अनुविभाग घरघोड़ा के ग्राम छोटे गुमड़ा, कंचनपुर, सक्ता के 3.082 हे. राजस्व वन एवं ग्राम नवापारा टेण्डा, कोटरीमाल, रायकेरा, नयारामपुर, खर्रा, सक्ता, जरहीडीह एवं सेमीजोर के 79.931 हे. वन भूमि (कुल 83.013 हे.) एवं अनुविभाग खरसिया अंतर्गत ग्राम कुरू के 3.082 हे. राजस्व वन एवं ग्राम काफरमार तथा कुरू के 7.068 हे. वन भूमि (कुल 10.150 हे.) कुल रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत 6.164 हे. राजस्व वन एवं 86.999 हे. वन भूमि (कुल 93.163 हे.) तथा धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत अनुविभाग लैलूंगा के ग्राम हरदीझरिया के 1.072 हे. राजस्व वन एवं 12.730 हे. वन भूमि (कुल 13.802 हे.) एवं अनुविभाग धरमजयगढ़ के ग्राम औरानारा एवं लामीखार के 9.514 हे. राजस्व वन एवं ग्राम औरानारा तथा लामीखार के 10.390 हे. वन भूमि (कुल 19.904 हे.) कुल धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत 10.586 हे. राजस्व वन एवं 23.120 हे. वन भूमि (कुल 33.706 हे.) के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा०) घरघोड़ा, खरसिया, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ के जांच प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

वन क्षेत्र एवं राजस्व वन क्षेत्र का विवरण

परियोजना का नाम - 765 के.व्ही. डी/सी झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) लाईन-2 (Ctk-3&4) तक
विद्युत संचरण पथ निर्माण

क्र०	वनमंडल का नाम	अनुविभाग	तहसील	ग्राम	कक्षा क्रमांक	वनक्षेत्र का प्रकार	आवेदित क्षेत्रफल (हे.)
1	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	नवापारा टेण्डा	1215 RF	आरक्षित वन	3.518
				रायकेरा	1360 OA	वन भूमि	1.474
				नयारामपुर	1361 P	संरक्षित वन	7.940
				कोटरीमाल	1362 P	संरक्षित वन	2.010
			तमनार	खर्रा	864P	संरक्षित वन	3.484
				खर्रा	718	आरक्षित वन	7.873
				खर्रा	724	आरक्षित वन	7.973
				खर्रा	728P	संरक्षित वन	2.713
				सक्ता	722	आरक्षित वन	7.739
				सक्ता	729	संरक्षित वन	2.512
				जरहीडीह	783 RF	आरक्षित वन	16.716
				जरहीडीह	781 RF	आरक्षित वन	12.596
				सेमीझोर	755P	संरक्षित वन	0.201
				सेमीझोर	756P	संरक्षित वन	1.340
				सेमीझोर	757P	संरक्षित वन	1.842
			योग-				79.931
			घरघोड़ा	छोटे गुमड़ा	158	राजस्व वन	0.536
				कंचनपुर	307	राजस्व वन	0.536
			तमनार	सक्ता	659/2	राजस्व वन	1.206
				सक्ता	16/1	राजस्व वन	0.804
			योग -				3.082

		खरसिया	खरसिया	काफरमार	वन भूमि		2.077
				काफरमार	वन भूमि		2.700
				कुरु	वन भूमि		2.291
			योग—				7.068
			खरसिया	कुरु	23/1	राजस्व वन	3.082
			योग—				3.082
			कुल योग—				93.163
2	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	औरानारा	517	आरक्षित वन	10.050
				लामीखार	491P	संरक्षित वन	0.340
			योग—				10.390
			धरमजयगढ़	औरानारा	8/1क	राजस्व वन	0.536
					लामीखार	46/2क	राजस्व वन
				लामीखार	56/2क	राजस्व वन	2.412
					लामीखार	214/2क	राजस्व वन
		योग—				9.514	
		लैलुंगा	लैलुंगा	हरदीझरिया	343 RF	आरक्षित वन	12.730
				योग—			
			लैलुंगा	हरदीझरिया	156	राजस्व वन	1.072
				योग—			
		कुल योग —				33.706	
महायोग —				126.869			

1- यह कि, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्र के कुल रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत कुल 93.163 हे. एवं धरमजयगढ़ वनमंडल के अंतर्गत के कुल 33.706 हे. कुल 126.869 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, में यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

2- यह कि, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में विशेष पिछड़ी जनजाति एवं विलुप्तप्राय जनजाति समूह (PTG - Primitive Tribal Groups, PAC - Pre-Agricultural Communities) के सदस्य निवासरत नहीं है और न ही प्रभावित हो रहे हैं जिनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

3- उपरोक्त संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(श्रीमती अलरमेलमंगई डी.)

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष— जिला वन अधिकार समिति
जिला—रायगढ़ (छ.ग.)